राजस्व वाद 240/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
हेमाराम बनाम् बद्रीराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :240/2021

वादीगण–

1. हेमाराम पुत्र धन्नाराम
   जाति–मेघवाल निवासी–मेरवास ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बद्रीराम पुत्र धन्नाराम
2. कानाराम पुत्र धन्नाराम
3. धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम
4. जिमना पुत्री कुम्भाराम
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–मेरवास ,तहसील जायल (नागौर)
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 18/11/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा मेरवास तहसील जायल में खेत खसरा नं. 168 रकबा 2.1853 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 362 रकबा 2.0135 हैक्टेयर व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर व खसरा नंबर 273 रकबा 1.4326 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2065 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से घ) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। नजरीनक्शा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
18/11/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वाद पत्र का अभिन्न भाग है। वादी संख्या 1 हेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 168 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1.09265 हैक्टेयर 1/2 उतरी हिस्सा व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 1.6673 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 168 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1.09265 हैक्टेयर 1/2 दक्षिणी हिस्सा व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 1.6673 हैक्टेयर मध्य भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 273 रकबा 1.4326 हैक्टेयर पूरा, व खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 0. 242811 हैक्टेयर दक्षिणी भाग 1.10 बीघा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 362 रकबा 2.0315 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम. हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 16.11.2021 को उपस्थित कैम्प कोर्ट शिविर प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत दोतीणा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामील होकर शिविर में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हेमाराम पुत्र धन्नाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम मेरवास तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 89 प्रदर्श–1, ग्राम गोठ तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 66 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा व सहमति से वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रकरण हाजा में मौजा मेरवास व गोठ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 273, 362 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 272, 168 माफिक ईकबाली जबाब एवं सहमति से बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है लेकिन विभाजन का नजरीनक्शा संलग्न है। अतः मौजा मेरवास तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 168, 362 व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272, 273 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक ईकबालिया जबाब / सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मेरवास तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 168, 362 व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272, 273 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक ईकबालिया जबाब / सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 हेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 168 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1.09265 हैक्टेयर 1/2 उतरी हिस्सा व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 1.6673 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 168 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1.09265 हैक्टेयर 1/2 दक्षिणी हिस्सा व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 1.6673 हैक्टेयर मध्य भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 273 रकबा 1.4326 हैक्टेयर पूरा, व खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 0.242811 हैक्टेयर दक्षिणी भाग 1.10 बीघा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 362 रकबा 2.0315 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

16/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :240/2021

वादीगण–

1. हेमाराम पुत्र धन्नाराम
   जाति–मेघवाल निवासी–मेरवास ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बद्रीराम पुत्र धन्नाराम
2. कानाराम पुत्र धन्नाराम
3. धन्नाराम पुत्र कुम्भाराम
4. जिमना पुत्री कुम्भाराम
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–मेरवास ,तहसील जायल (नागौर)
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मेरवास तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 168, 362 व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272, 273 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक ईकबालिया जबाब/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 हेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 168 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1.09265 हैक्टेयर 1/2 उतरी हिस्सा व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 1.6673 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 168 रकबा 2.1853 हैक्टेयर में से 1.09265 हैक्टेयर 1/2 दक्षिणी हिस्सा व मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 1.6673 हैक्टेयर मध्य भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 273 रकबा 1.4326 हैक्टेयर पूरा, व खेत खसरा नंबर 272 रकबा 3.5774 हैक्टेयर में से 0.242811 हैक्टेयर दक्षिणी भाग 1.10 बीघा रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मेरवास का खेत खसरा नंबर 362 रकबा 2.0315 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

16/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

16/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner